

न्यायालय:—सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण, गोहद
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 49 / 2014

संस्थित दिनांक—28.01.2010

फाइलिंग नं—230303003982010

1. श्रीमती नीतू आयु 22 साल पत्नी स्व0 कविलाश
2. श्रीमती गोविन्दी पत्नी रामस्वरूप आयु 48 साल
3. रामस्वरूप आयु 50 साल पुत्र मनीराम
समस्त जाति माहौर निवासीगण ग्राम जगन्नाथपुरा
पुलिस थाना गोहद चौराहा तहसील गोहद जिला
भिण्ड म0प्र0आवेदकगण

वि रू द्ध

- 1— रघुवीरसिंह आयु 23 साल पुत्र पदमसिंह
जाति जादौन निवासी पिपरौनिया थाना
पहाड़गढ़ जिला मुरैना म0प्र0वाहन चालक
- 2— भूपेन्द्रसिंह आयु 27 साल पुत्र कप्तानसिंह
सिकरवार निवासी ग्राम पिपरौनिया थाना
पहाड़गढ़ जिला मुरैना हाल मालनपुर तहसील
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0वाहन मालिक
- 3— रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
शाखा ग्वालियरबीमा कंपनी
.....अनावेदकगण

आवेदकगण द्वारा श्री राधामोहन शर्मा अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक—1 व 2 द्वारा श्री दाताराम बंसल अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक—3 द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

—::— अधि-निर्णय —::—

(आज दिनांक 13 मई-2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आवेदकगण की ओर से उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-166 एवं 140 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में मृतक कविलाश को आयी गंभीर चोटों के फलस्वरूप हुई मृत्यु पर से मानसिक पीडा एवं इलाज में लगे व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करते हुए आवेदकगण को कुल 30,48,000/-रुपये अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्कतः मय 12 प्रतिशत मासिक ब्याज सहित मय खर्च के दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है ।
2. आवेदकगण का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मृतक कविलाश दिनांक 03.12.09 की शाम चार बजे के लगभग अपने पिता की मोटरसाइकिल से गोहद

चौराहा से जगन्नाथपुरा जा रहा था तभी अनावेदक क्रमांक-1 टाटा मेटाडोर क्रमांक-एम0पी0-07 एल-0718 को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना मोतीराम उर्फ मोतीलाल, हरप्रसाद व रणवीर ने देखी। घटना की रिपोर्ट थाना गोहद चौराहा पर की गई थी। मृतक कविलाश 23 साल का पूर्णतः स्वस्थ व पढा लिखा होकर कारीगरी के काम से प्रतिदिन 200/-रूपये कमाता था तथा आवेदिका क्र0-1 अपनी पत्नी व आवेदिका क्रमांक-2 व आवेदक क्र0-3 अपने माता पिता जो उस पर आश्रित रहे थे, का भरणपोषण करता था। अतः शारीरिक एवं मानसिक पीडा, संतान सुख, एवं दाह संस्कार आदि के मदों में अनावेदकगण से 30,48,000/-रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

3. अनावेदकगण क्र0-1 व 2 की ओर से क्लेम आवेदन का लिखित जबाब प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया है कि कथित घटना दिनांक एवं समय पर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित न होना बताते हुए शेष तथ्यों की जानकारी न होने व तथ्य स्वीकार न होना व्यक्त किया है। किन्तु उपरोक्त वर्णित वाहन का स्वामी भूपेन्द्रसिंह ने स्वयं को होना स्वीकार करते हुए अनावेदक क्र0-1 को ज़ायवर होना स्वीकार किया है। बीमा कंपनी का नाम गलत अंकित होना बताते हुए यह कहा है कि उपरोक्त वर्णित वाहन क्रमांक-एम0पी0-07एल-0718 का बीमा रिलाईंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ दिनांक 20.02.09 से 19.02.10 तक के लिये बीमित था जिसका पॉलिसी क्रमांक-2304782334002136 बताया है। तथा मृतक को एकदम बेरोजगार होना बताया है। अतिरिक्त आपत्ति में यह व्यक्त किया है कि आवेदकगण ने क्लेम पाने के लिये झूठी रिपोर्ट अनावेदक क्र0-2 के वाहन के विरुद्ध दर्ज कराई थी और आवेदकगण ने पुलिस गोहद चौराहा से मिलकर अनावेदक क्र0-1 के विरुद्ध झूठा दावा न्यायालय में प्रस्तुत करवाया था जिसमें प्रार्थी दोषमुक्त हो चुका है। इसलिये आवेदकगण किसी भी प्रकार की कोई भी अवॉर्ड राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

4. अनावेदक क्र0-3 की ओर से क्लेम आवेदन का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि मृतक की आयु 23 साल होना अस्वीकार करते हुए उसका बेरोजगार होना बताया है। म0प्र0 मोटर व्हीकल रूल्स 1994 के नियम 220 के अनुसार वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जो की जाना आवश्यक है। क्योंकि वाहन के स्वामी का नाम वाहन के रजिस्ट्रेशन में होता है। मोटर व्हीकल रूल्स 1994 के नियम 220 के अनुसार वाहन की बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है जो की जाना अस्वीकार है तथा वाहन का बीमित होना अस्वीकार किया गया है। घटना के संबंध में जिस प्रकार से कथन किया गया है वह स्वीकार नहीं होना व्यक्त करते हुए व्यक्त किया है कि उक्त दुर्घटना दो वाहनों के मध्य घटी है इसलिये वाहन मोटरसाइकिल के स्वामी एवं बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। विभिन्न मदों के संबंध में वर्णित राशियों का गलत आंकलन किया गया है।

5. अनावेदक क्र0-3 की ओर से विशेष कथन में यह व्यक्त किया गया है कि दिनांक 03.12.09 को वाहन स्वामी अनावेदक क्र0-2 के पास वाहन क्रमांक-एम0पी0-07एल-0718 का रूट परमिट एवं फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था तथा अनावेदक क्र0-1 के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स नहीं था। इसलिये अनावेदक क्र0-3 आवेदक की क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं है। उक्त दुर्घटना में स्वयं मृतक भी सहभागी रहा है क्योंकि घटना के समय मृतक वाहन मोटरसाइकिल को चला रहा था उसके पास घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग

लायसेन्स नहीं था। अनावेदक क्र०-3 का उत्तरदायित्व मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स एवं पॉलिसी की शर्तों के अंतर्गत ही आयद हो सकता है। इसके विपरीत अनावेदक क्र.-3 आवेदक की किसी भी क्षति के लिये उत्तरदायी नहीं है। प्रकरण के बचाव में अनावेदक क्रमांक-1 व 2 अनावेदक क्रमांक-3 की कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। इस कारण अनावेदक क्रमांक-3 को यह विश्वास हो गया है कि आवेदकगण व अनावेदक क्र०-1 व 2 ने आपस में कोई दुरभिसंधि कर ली है जिससे अनावेदक क्र०-3 के हितों को क्षति पहुंचने की संभावना है। इसलिये अनावेदक क्र०-3 को प्रकरण में उपलब्ध बचाव के समस्त आधारों पर अपना बचाव करने की अनुमति प्रदान की जावे। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत क्लेम आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

6. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में मेरे द्वारा निम्नवाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1	क्या अनावेदक क्र०-1 ने अनावेदक क्रमांक-2 के स्वामित्व की टाटा मेटाडोर क्रमांक-एम0पी0-07एल-718 को दिनांक 03.12.09 के दोपहर करीब चार बजे भिण्ड ग्वालियर लोक मार्ग पर गोहद चौराहा से करीब एक किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर कलारी के पास उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर आवेदक क्र०-1 के पति व आवेदक क्र०-2 व 3 क पुत्र कविलाश को अपने ग्राम जगन्नाथपुरा अपने पिता की मोटरसाइकिल से ले जाते समय टक्कर मार कर दुर्घटना कारित की?	
2	क्या अनावेदक क्र०-1 द्वारा कारित की गई उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक कविलाश की घटनास्थल पर ही मृत्यु कारित हुई?	
3	क्या मृतक उक्त दुर्घटना दिनांक को 23 वर्षीय नवयुवक होकर शिक्षित होते हुए भवन निर्माण की कारीगरी का कार्य कर 6000/- रुपये मासिक आय अर्जित करता था?	
4	क्या आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्ततः और पृथक्ततः मृतक कविलाश की दुर्घटना में हुई मृत्यु के आधार पर 30,48,000/-रुपये एवं उस पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से अदायगी तक बारह प्रतिशत ब्याज सहित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है?	
5	क्या अनावेदक क्र०-1 के पास दुर्घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स और अनावेदक क्र०-2 के पास दुर्घटना वाले वाहन का रूट परमिट, फिटनेस न होकर उनके द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया?	

6	क्या दुर्घटना दिनांक को मृतक कविलाश के पास मोटरसाइकिल का वैध और प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स न होकर वह अंशदायी उपेक्षा का भागीदार था?	
7	क्या अनावेदक क्र०-1 व 2 और आवेदकगण की आपस में कोई दुरभि संधि है?	
8	क्या अनावेदक क्र०-1 के विरुद्ध पंजीबद्ध हुए दुर्घटना के आपराधिक प्रकरण में उसके दोषमुक्त हो जाने से वह क्षतिपूर्ति राशि वहन करने के भार से मुक्त हो चुका है?	
9	अन्य सहायता एवं व्यय?	

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

वाद प्रश्न क्रमांक- 1, 2 एवं 8 का निराकरण

7. इस संबंध में आवेदकगण की ओर से आवेदिका श्रीमती नीतू आ०सा०-1 के अभिसाक्ष्य में मृतक कविलाश की विधवा पत्नी होना बताते हुए इस आशय का अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी अठारह मई 2005 को मृतक कविलाश से विवाह हुआ था। वह उसकी विधवा पत्नी है। उसने पुनर्विवाह नहीं किया है। ऐसा ही हरप्रसाद आ०सा०-2 का भी अभिसाक्ष्य है जिसका कोई खण्डन अनावेदकगण की ओर से नहीं है जिससे आवेदिका श्रीमती नीतू कविलाश की विधवा पत्नी होकर उसकी आश्रित होना प्रमाणित होती है।
8. जहाँ तक दुर्घटना का प्रश्न है, इसके संबंध में नीतू आ०सा०-1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में दुर्घटना दिनांक 03.12.09 के शाम के करीब चार बजे की बताते हुए यह कहा है कि उसके पति कविलाश अपने पिता रामस्वरूप की मोटरसाइकिल से गोहद चौराहा से अपने गांव जगन्नाथपुरा आ रहा था तभी भिण्ड ग्वालियर रोड पर कलारी के पास उसे भिण्ड तरफ से आती हुई एक टाटा मेटाडोर क्रमांक-एम०पी०-07एल-0718 के चालक अनावेदक क्र०-1 द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके पति की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिससे उसके पति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। घटना के समय रणवीर, हरप्रसाद व मोतीराम मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी थी। मोतीराम ने रिपोर्ट की थी जिसका समर्थन घटना के बताये गये चक्षुदर्शी साक्षी हरप्रसाद आ०सा०-2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है। अनावेदक क्र०-1 व 2 की ओर से भूपेन्द्रसिंह सिकरवार दुर्घटनाकारी वाहन के स्वामी ने अना०सा०-1 के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए अपनी मेटाडोर क्रमांक-एम०पी०-07एल-0718 से मृतक कविलाश की दुर्घटना में मृत्यु होने से इन्कार किया है। अनावेदक क्र०-3 बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दी गई है।
9. इस बिन्दु पर आवेदकगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में दुर्घटना के संबंध में थाना गोहद चौराहा पर मेटाडोर क्रमांक- एम०पी०-07एल-0718 के चालक के विरुद्ध धारा-304 ए भा०द०वि० के तहत पंजीबद्ध अप०क्र०-202/09

की एफ0आई0आर0, घटनास्थल का नजरीय नक्शा, मृतक की लाश का पंचायतनामा, मेटाडोर की मय कागजात के जप्ती, अनावेदक क्र0-2 के द्वारा उसे सुपुर्दगी पर प्राप्त किये जाने संबंधी जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा, मोतीराम द्वारा अकाल मृत्यु की की गई सूचना, मृतक कविलाश का शव परीक्षण का प्रतिवेदन, सफीना फॉर्म और अनावेदक क्र0-1 के विरुद्ध उक्त अपराध के संबंध में जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद में प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र0पी0-1 लगायत 10 के रूप में पेश की गई हैं जिनका कोई खण्डन नहीं हुआ है।

10. अनावेदक क्र0-2 भूपेन्द्रसिंह की ओर से दी गई साक्ष्य में यह बताया गया है कि उसका ड्रायवर रघुवीरसिंह दोषमुक्त हो चुका है। उसका यह भी कहना रहा है कि उसका वाहन दुर्घटना दिनांक को वैधानिक रूप से अनावेदक क्र0-3 रिलाईन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बीमित था और घटना दिनांक को चालक रघुवीरसिंह वैध अनुज्ञप्तिधारक था। उसने बीमा पॉलिसी प्र0डी0-1 के रूप में पेश करते हुए चालक के ड्रायविंग लायसेन्स, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन आदि की फोटोप्रति भी पेश करना बताया है। अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दी गई है। आवेदकगण के साक्षियों तथा अनावेदक क्र0-2 पर जो प्रति परीक्षा की गई है उससे दुर्घटना खण्डित नहीं होती है। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य में समरूपता है जिससे मृतक कविलाश की दिनांक 03.12.09 को भिण्ड ग्वालियर रोड़ पर दोपहर करीब चार बजे लोक मार्ग पर गोहद चौराहा से करीब एक किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर कलारी के पास मोटरसाइकिल से जाते समय सामने से आ रही मेटाडोर क्रमांक-एम0पी0-07एल-0718 से दुर्घटना में मृत्यु होना पाया जाता है जिसमें मृतक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु शव परीक्षण प्रतिवेदन से भी प्रमाणित है। प्र0पी0-3 के नजरीय नक्शा मुताबिक लोक मार्ग की घटना है और प्र0पी0-6 मुताबिक जो मेटाडोर दुर्घटनाकारी वाहन बताया गया है वह जप्त भी हुआ है जिसे अनावेदक क्र0-2 द्वारा सुपुर्दगी पर भी लिया गया है। अनावेदक क्र0-1 को वाहन स्वामी ने अपनी मेटाडोर का चालक होना भी स्वीकार किया है। प्रकरण में दोषमुक्ति के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में पेश नहीं की गई है। मौखिक रूप से ही अनावेदक क्र0-2 ने दोषमुक्ति की बात कही है। दोषमुक्ति किस आधार पर हुई, इस बारे में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है तथा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-166 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के दावों में दुर्घटना से संबंधित आपराधिक मामले के निराकरण का गुण-दोषों पर कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि उसका क्षतिपूर्ति के सामान से कोई लेना देना नहीं होता है तथा दुर्घटनाकारी वाहन के चालक द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन का सबूत होना ही आवश्यक है। जैसा कि न्याय दृष्टांत श्रीमती झिंकी एवं अन्य विरुद्ध बबलू उर्फ रामसिंह 2013(2) ए0सी0सी0डी0-593(इलाहाबाद उच्च न्यायालय) अवलोकनीय है। इसलिये यदि आपराधिक मामले में यदि अनावेदक क्र0-1 की दोषमुक्ति भी हुई है तो उसका क्षतिपूर्ति के मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है।

11. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि दिनांक 03.12.09 को दोपहर करीब चार बजे भिण्ड ग्वालियर लोक मार्ग पर गोहद चौराहा से करीब एक किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर

कलारी के पास मृतक कविलाश जो कि अपने पिता की मोटरसाइकिल से अपने गांव जगन्नाथपुरा जा रहा था। उसे भिण्ड तरफ से मेटाडोर क्रमांक-एम0पी0एल-0719 के चालक अनावेदक क्र0-1 के द्वारा अनावेदक क्र0-2 के स्वामित्व के वाहन द्वारा टक्कर मारी गई जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 व 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत कर आवेदकगण के पक्ष में प्रमाणित निर्णीत किये जाते हैं। तथा वाद प्रश्न क्रमांक-8 अप्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक- 6 का निराकरण

12. इस संबंध में आवेदकगण की ओर से दी गई साक्ष्य में मृतक के ड्रायविंग लायसेन्स को प्र0पी0-12 के रूप में पेश किया गया है जिसका कोई खण्डन अनावेदकगण की ओर से नहीं है जिससे इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि दुर्घटना दिनांक को मृतक के पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स मोटरसाइकिल को लोक मार्ग पर चलाने के लिये उपलब्ध था। ऐसे में मृतक को आमने सामने की हुई दुर्घटना के लिये अंशदायी उपेक्षा का भागीदार नहीं माना जा सकता है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-6 अप्रमाणित निर्णीत कर आवेदकगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक- 7 का निराकरण

13. इस वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी पर था। जिसकी ओर से प्रकरण में कोई ऐसी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। बल्कि खण्डन स्वरूप अनावेदक क्रमांक-2 भूपेन्द्रसिंह ने अना0सा0-1 के रूप में स्वयं का कथन पेश किया है और बीमा पॉलिसी को प्र0डी0-1 के रूप में पेश किया है। अपने वाहन का फिटनेस, परमिट व रजिस्ट्रेशन आदि भी होना बताया है। वाहन चालक का ड्रायविंग लायसेन्स होना भी बताया गया है जिसका खण्डन अनावेदक क्र0-3 की ओर से नहीं किया गया है और अनावेदक क्र0-1 व 2 की हितबद्धता के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है। इसलिये अनावेदक क्र0-1 व 2 की आवेदकगण से दुरभिसंधि होने का कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं है। इसलिये साक्ष्य के अभाव में वाद प्रश्न क्रमांक-7 निर्णीत कर अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी के विरुद्ध निष्कर्षित किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक- 3 का निराकरण

14. उक्त वाद प्रश्न के प्रमाणन का भार आवेदकगण पर है। इस संबंध में आवेदकगण की ओर से नीतू आ0सा0-1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि उसका पति कविलाश मकान बनाने की कारीगरी का काम करता था और दो ढाई सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमाता था। उसकी मासिक आय छः हजार रुपये थी। ऐसा ही उसने प्रतिपरीक्षा में बताया है और अनावेदकगण से सुझावों से अस्वीकार किया है। उसका समर्थन हरप्रसाद आ0सा0-2 जो कि मृतक के गांव का ही होकर उसका पड़ोसी है, उसने किया है तथा कैलाशनारायण आ0सा0-3 जो कि मृतक का रिश्तेदार होकर मृतक कविलाश को अपने साले का लड़का होना स्वीकार करता है। उसने भी अक्टूबर-2009 में अपने प्लॉट पर मकान निर्माण कविलाश से कराना और दो सौ रुपये प्रतिदिन के

हिसाब से मजदूरी देना बताया है। हालांकि उसने मजदूरी का कोई हिसाब किताब लिखित में नहीं रखा है। इस बिन्दु पर अनावेदकगण की ओर से कोई साक्ष्य भी नहीं है।

15. तर्कों में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने भी 200/-रूपये प्रतिदिन कम से कम मजदूरी बताते हुए महीने में 25 दिन मृतक का कार्य करना बताते हुए उसकी छः हजार रुपये मासिक आय क्षतिपूर्ति के लिये मान्य किये जाने का निवेदन किया है जबकि अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने कोई दस्तावेजी प्रमाण न होने से अनुमानित आय तीन हजार रुपये ही आंकलित किये जाने का तर्क किया गया है।

16. जहाँ तक आय का प्रश्न है, मृतक की आय के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर नहीं हैं। किन्तु आवेदकगण की ओर से उसके आंशिक शिक्षित होने के संबंध में माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2003-2004 का प्रमाण पत्र प्र0पी0-11 के रूप में पेश किया गया है तथा उसे मकान निर्माण की कारीगरी करने वाला बताया गया है। मौखिक साक्ष्य में अवश्य दी गई है और मौखिक साक्ष्य का खण्डन नहीं है। यदि मृतक मकान बनाने की मजदूरी कारीगर के रूप में नहीं करता था तो क्या करता था। इस बारे में कोई खण्डन साक्ष्य भी नहीं है। ऐसे में मृतक को कारीगर पेशा व्यक्ति माना जा सकता है और उसके संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण न होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है। श्रीमती नीतू आ0सा0-1 के पैरा-7 में भी अनावेदक क0-1 व 2 की ओर से पूछे गये प्रश्नों में भी उसने अपने पति का कारीगरी का काम करना ही बताया है। पैरा-6 में अनावेदक क0-3 की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा ही बताते हुए 200/-रूपये प्रतिदिन की आमदनी और प्रतिदिन काम करना वह बताती है। हरप्रसाद आ0सा0-2 ने मृतक की आय पर ही पूरे परिवार का आश्रित होना कहा है जिसका भी कोई खण्डन नहीं है। ऐसे में आवेदकगण को मृतक पर आश्रित होना माना जा सकता है। मृतक की विधवा पत्नी एवं माँ तो उसके आश्रितों में निर्विवादित रूप से आती हैं। जहाँ तक पिता का प्रश्न है, पिता के कोई भी कार्य करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आई है जिससे पिता भी मृतक पर आश्रित की श्रेणी में ही माना जा सकता है और न्यूनतम मजदूरी को भी देखा जाये तो भी दुर्घटना के समय 200/-रूपये प्रतिदिन की बताई गई मजदूरी काल्पनिक नहीं कही जा सकती है।

17. जहाँ तक मृतक की उम्र का प्रश्न है, उसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य में प्र0पी0-11 मुताबिक जो कि स्कूल का प्रमाण पत्र है और जिसके सत्य होने की उपधारणा की जावेगी, उसमें मृतक कविलाश की जन्म तिथि 28 जुलाई 1986 अंकित है और दुर्घटना दिनांक 03.12.09 की है जिसके आधार पर मृतक दुर्घटना के समय 23 वर्ष, चार माह व चार दिन का था। शव परीक्षण प्रतिवेदन एवं आपराधिक मामले से संबंधित प्रपत्रों में मृतक की आयु 24 वर्ष आंकलित की गई है। इस संबंध में लैण्डमार्क जजमेन्ट सरला वर्मा विरुद्ध देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 ए0सी0जे0 पेज-1298(एस0सी0) तथा रेशमा कुमारी विरुद्ध मदनमोहन 2013 ए0सी0जे0 1253(एस0सी0) के न्याय दृष्टांतों का अवलंब लेना होगा जिसमें जो न्यूनतम वैधानिक स्थिति आयु के आधार पर गुणक के प्रयोग बाबत बतलाई गई है उसमें 21 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के लिये 18 के गुणक के प्रयोग बाबत बतलाई गई है तथा दो से तीन आश्रित होने की दशा में

मृतक के व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च मद में विवाहित होने की स्थिति में 1/3 भाग का कटौती किये जाने का प्रावधान है। इस बिन्दु पर अनावेदक क्र०-3 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि माता पिता के आश्रित होने से माता पिता में से जिसकी उम्र अधिक हो, उसके आधार पर गुणक प्रयोज्य किया जाना चाहिए। उनका यह तर्क इसलिये मान्य नहीं किया जा सकता है कि मामले में मृतक विवाहित है। उसकी विधवा पत्नी भी आश्रित है और पैरेंट्स के आश्रित होने के संबंध में न्याय दृष्टांत **रमेशसिंह विरुद्ध सतबीरसिंह ए 0आई0आर0 2008 एस0सी0 पेज-1233** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित किया गया है कि जहाँ केवल पैरेंट्स आश्रित हों वहाँ उनकी उम्र सुसंगत होती है और गुणांक मृतक या आश्रितों में से जिसकी उम्र अधिक हो, उसके आधार पर चयन किया जाना चाहिए। चूंकि इस मामले में केवल माता पिता आश्रित नहीं हैं, बल्कि विधवा पत्नी भी है और मामला अवयस्क का नहीं है। इसलिये माता पिता की उम्र गुणांक के बिन्दु पर अनुकरणीय नहीं होगी। बल्कि मृतक की आयु के आधार पर ही गुणांक का चयन करना होगा। मृतक दुर्घटना के समय 23-24 वर्ष की अवधि के दरम्यान का होना पाया जाता है। तथा उसकी मासिक आय 5000/-रुपये आंकलित की जाती है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक-3 आवेदकगण के पक्ष में आंशिक रूप से प्रमाणित पाते हुए निर्णीत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक- 3 का निराकरण

18. इस बिन्दु का प्रमाण भार अनावेदकगण पर है। अनावेदक क्र०-3 बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य इस आशय की अभिलेख पर अपने अभिवचनों को प्रमाणित करने के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं की गई है कि दुर्घटना दिनांक 03.12.09 को अनावेदक क्र०-1 के पास वैध एवं प्रभावी परमिट व फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं थे जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। जबकि इस बिन्दु पर आवेदकगण की ओर से दुर्घटनाकारी वाहन का फिटनेस, बीमा पॉलिसी एवं रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति पेश करना बताई गई है। उसका भी खण्डन नहीं किया गया है। अनावेदक क्र०-2 ने बीमा पॉलिसी भी पेश की है। अनावेदक क्र०-1 के ड्रायविंग लायसेन्स की प्रति भी पेश की गई है। इसलिये खण्डन के अभाव में प्रकरण में दुर्घटनाकारी वाहन मेटाडोर क्र०- एम0पी0-07एल-0178 का दुर्घटना दिनांक को फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और बीमा पॉलिसी और वाहन चालक पर ड्रायविंग लायसेन्स होने की उपधारणा निर्मित की जावेगी। यह दुर्घटना के संबंध में पंजीबद्ध हुए आपराधिक मामले के दस्तावेज प्र०पी0-1 के अभियोग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि से भी स्पष्ट होता है। क्योंकि दुर्घटना के संबंध में अनावेदक क्र०-1 के विरुद्ध जो अभियोग पत्र पुलिस द्वारा पेश किया गया था। उसमें मोटरयान अधिनियम 1988 के किसी प्रावधान का उल्लंघन अनावेदक क्र०-1 व 2 के द्वारा किया जाना नहीं बताया गया है। अर्थात् वाहन का वैध व जीवित बीमा होना, फिटनेस होना, चालक पर वैध और प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स होने की उपधारणा निर्मित होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अनुसंधान में उसके संबंध में मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत भी अभियोग पत्र पेश होता। इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं परिस्थितियों से प्र०डी0-1 की बीमा पॉलिसी की शर्तों का अनावेदक क्र०-1 व 2 द्वारा उल्लंघन किया जाना कतई

प्रमाणित नहीं होता है। फलतः साक्ष्य के अभाव में वाद प्रश्न क्रमांक-5 अप्रमाणित निर्णीत करते हुए अनावेदक क्र०-3 के विरुद्ध निराकृत किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक- 4 एवं 9 का निराकरण

19. उपरोक्त दोनों वाद प्रश्न सहायता संबंधी होने से सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।
20. इस संबंध में आवेदकगण की ओर से अपने अभिवचनों एवं मौखिक साक्ष्य मुताबिक अनावेदकगण से संयुक्ततः और पृथक्ततः मृतक कविलाश की दुर्घटना में मृत्यु के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति की जो राशि 3048000/-रुपये एवं आवेदन प्रस्तुति दिनांक से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने की सहायता चाही गई है जैसा कि श्रीमती नीतू आ०सा०-1 ने अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में भी कही है जिसके संबंध में वैधानिक स्थिति को देखा जाना आवश्यक है। उपरोक्त किये गये विश्लेषण मुताबिक मृतक 23-24 वर्ष की उम्र का होना माना जा चुका है। दो सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसकी आय का स्रोत होना तथा महीने में पच्चीस दिन कार्य दिवस मानते हुए उसकी मासिक रूप से 5000/-रुपये आय अर्जित किया जाना माना गया है। तथा उपरोक्त वर्णित न्याय दृष्टांतों के आधार पर मामले में गुणांक 18 का प्रयोज्य होना तथा तीन आश्रित होने से 1/3 व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च का कटौती किये जाने को विश्लेषित किया जा चुका है।
21. चूंकि मामले में मृतक के आश्रितों में उसकी विधवा पत्नी श्रीमती नीतू आ०सा०-1 भी है और पांच वर्ष से अधिक पुराना भी हो गया है। मृतक की पत्नी के पुनर्विवाह की पुष्टि नहीं हुई है जिसकी उम्र आवेदन प्रस्तुति के समय 22 वर्ष अर्थात् युवावस्था की थी और वर्तमान में भी वह युवावस्था में ही है। ऐसे में उसे पुनर्विवाह न करने की दशा में आजीवन सहचर्य की हानि निश्चित रूप से होगी। सहचर्य की हानि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत राजेश विरुद्ध राजवीर 2013 वोल्यूम-9 एस०सी०सी० पेज-54 की कण्डिका-20 में उक्त मद में एक लाख रुपये अवॉर्ड किये जाने का मार्गदर्शन स्पाउस के मामले में दिया गया है। जो इस मामले में भी लागू किये जाने योग्य है। इसलिये सहचर्य की हानि के मद में 1,00,000/-रुपये आवेदिका क्रमांक-1 व्यक्तिगत रुपये पाने की अधिकारिणी है। दाह संस्कार के मद में उक्त न्याय दृष्टांत में ही 25,000/-रुपये दिलाये जाने का मार्गदर्शन दिया गया है किन्तु हस्तगत मामले में आवेदकगण ने दाह संस्कार के मद में दस हजार रुपये की ही मांग की है। इसलिये मांग से अधिक राशि अंत्येष्टि मद में दिलाई जाना उचित नहीं होगी।
22. इस तरह से प्रकरण में क्षतिपूर्ति के लिये आदर्श गणना निम्न प्रकार से की जाती है :-

क्रम संख्या	शीर्षक	गणना
1	मासिक	5000 /—प्रतिमाह 60000 /—रूपये वार्षिक आय
2	18 का गुणक प्रयुक्त करने पर प्रतिकर	10,80,000 /—रूपये प्रतिमाह
3	स्वयं पर व्यक्तिगत जीवन निर्वाह खर्च कटौती 1/3	—3,60,000 /—रूपये घटाने पर कुल प्रतिकर योग—7,20,000 /—रूपये
4	सहचर्य की हानि केवल आवेदिका क्र0-1 के लिये	1,00,000 /—रूपये
5	अन्त्येष्टि खर्च	10,000 /—रूपये
6	कुल प्रतिकर राशि	8,30,000 /—रूपये (आठ लाख तीस हजार रुपये)

23. उक्त गणना के अनुसार **कुल क्षतिपूर्ति राशि 8,30,000 /—रूपये (आठ लाख तीस हजार रुपये)** बनती है। जिस पर न्याय दृष्टांत राजेश एवं अन्य विरुद्ध राजवीरसिंह एवं अन्य 2013 ए0सी0जे0 1403(एस0सी0) के आधार पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 19.09.14 से पूर्ण अदायगी तक आवेदकगण 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

24. इस तरह से आवेदकगण के द्वारा चाही गई प्रतिकर राशि 30,48,000 /—रूपये और उस पर बारह प्रतिशत वार्षिक ब्याज नहीं दिलाया जा सकता है। फलतः उपरोक्त सारिणी अनुसार ही राशि दिलाई जा सकती हैं अतः वाद प्रश्न क्रमांक-4 को आवेदकगण के पक्ष में आंशिक रूप से प्रमाणित निर्णीत करते हुए सारिणी अनुसार एवं उक्त निर्धारित ब्याज की सहायता से ही वाद प्रश्न क्रमांक-9 को निष्कर्षित करते हुए बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन न होने से अनावेदक क्र0-3 से निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित करते हुए दिलाई जाती है:-

1. आवेदकगण अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी से उपरोक्त वर्णित सारिणी अनुसार क्षतिपूर्ति राशि **8,30,000 /—रूपये (आठ लाख तीस हजार रुपये)** संयुक्त रूप से प्राप्त करने की अधिकारिणी होंगी। जिसमें से सहचर्य की हानि के एक लाख रुपये की राशि आवेदिका क्रमांक-1 को ही प्राप्त होगी। शेष मद की राशियों में आवेदकगण का समान हिस्सा रहेगा।
2. अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज जमा करने पर उसमें से आवेदकगण को 1,00,000—1,00,000 /—रूपये (एक एक लाख रुपये) राष्ट्रीयकृत बैंक खाते के माध्यम से नगद प्रदान किये जावें तथा शेष राशि को तीनों आवेदकगण के नाम से तीन तीन वर्ष की कालावधि के लिये पृथक पृथक एफ0डी0आर0 के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराये जावें।

जिस पर आवेदकगण बचत खाते के माध्यम से त्रैमासिक ब्याज की राशि का आहरण कर सकेंगे। सावधि जमा खाते की मूल राशि पर किसी भी प्रकार भार, ऋण या प्रतिभूति देय नहीं होगी।

4. सावधि जमा खाते की राशि किसी भी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में अधिकरण के संतुष्ट होने पर सावधि खाते में जमा राशि या उसके किसी भाग का आहरण अधिनिर्णय के आदेशानुसार किया जा सकेगा।
25. विचाराण के दौरान यदि अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राशि भुगतान की गई हो तो वह मूल क्षतिपूर्ति राशि में से समायोजित की जावे।
26. आवेदकगण का प्रकरण व्यय अनावेदक क्र०-3 अपने प्रकरण व्यय के साथ साथ वहन करेगा जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर या नियमानुसार जो भी कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

दिनांक: 13.05.2016

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा
दुर्घटना अधिकरण, गोहद
जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)